RH/10-1/R/1685/94 ८७-५०

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

क्रमांक
श्री
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत
प्र०क्र०
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

Clerk of Court
Board of Revenue M.P.
GWALIOR

/९४ पुनरीक्षण

रामायण प्रसाद पिता जगन्नाथ राम
निवासी ग्राम चाकघाट तहसील त्योंथर
जिला रीवा ------ आवेदक

विरुद्ध

द्वारिका प्रसाद पिता जगन्नाथ राम
निवासी ग्राम चाकघाट तहसील त्योंथर
जिला रीवा ------- अनावेदक

अपर आयुक्त रीवा संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक ४१।९३-९४ अपील. में पारित आदेश दिनांक २४-५-९४ के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० भू राजस्व संहिता १९५९.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(१) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध तथा अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

(२) यह कि तहसील न्यायालय ने संहिता की धारा १७८ एवं उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों का खुला उल्लंघन कर बंटवारे का जो आदेश पारित किया उसे स्थिर रखने में अपीलीय न्यायालयों ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है ।

(३) यह कि आवेदक की स्पष्ट आपत्ति थी कि प्रश्नाधीन भूखण्ड आवेदक के पिता ने अपने जीवनकाल में ही आवेदक को पारिवारिक बंटवारे में दे दिये थे अत: अनावेदक को उक्त भूखण्डों सर्वे क्रमांक ३२५।१ एवं

--- २

वाजपेयी)
एडवोकेट

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 685/94 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
03.8.17	अनावेदक के अधिवक्ता श्री विकास सिंह भदौरिया उपस्थित होकर आदेश 22 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 21.1.2016 को होने के कारण जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा वारिसान की जानकारी प्रस्तुत नहीं की। अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि समय सीमा में वारिसान की जानकारी उपलब्ध न कराने के कारण निगरानी उपसमित हो जाने के कारण प्रकरण इस स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	